प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ</u> - **<u>माननीय न्यायमूर्ती श्री दिलीप राव साहेब देशमुख</u>**

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 516 / 2002

अपिलार्थी (भूस्वामी)- लालजी जोशी (मृतक)
के वारिश

---

i. श्रीमति कालिन्द्री जोशी, विधवा लालजी जोशी उम्र 75 वर्ष निवासी ब्राम्हण पारा धमधा, जिला दुर्ग छ.ग.
- वह उस घर की पंजीकृत मालकिन है । लेकिन वह बुरी तरह से घायल है, कोई हरकत नहीं कर पा रही है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii. श्रीमती शिला मिश्रा पिता स्व. लालजी जोशी एवं पत्नि श्री श्रीराम मिश्रा उम्र 55 वर्ष निवासी ब्राम्हण पारा रायपुर छ.ग.
iii. श्री राजकुमार जोशी पिता स्व. लालजी जोशी उम्र 52 वर्ष निवासी डंगनिया रायपुर छ.ग.
iv. श्री अरूण कुमार जोशी पिता स्व. लालजी जोशी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम लटिया जिला राजनांदगांव (छ.ग)
v. श्रीमती पुष्पा शर्मा पिता स्व. लालजी जोशी एवं पति श्री राजेन्द्र जोशी उम्र 40 वर्ष निवासी ब्राम्हण पारा, धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
vi. कुमारी नीता जोशी, पिता स्वर्गीय लालजी जोशी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ब्राम्हण पारा, धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी (किरायेदार) - भैयाराम यादव (मृतक) के वारिश

i. शांति बाई, भैया लाल की विधवा उम्र लगभग 55 वर्ष , व्यवसाय कुछ नहीं
ii. श्याम बाई पुत्री भैयालाल उम्र 25 साल

सभी निवासी सी.एस.ई.बी. कार्यालय के पास मोहभट्ठा रोड, बेमेतरा जिला दुर्ग छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल प्रकरण संहिता की धारा 115 के तहत संशोधन

उपस्थितः अपिलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम जी. ताम्रकार ।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री आनंद कुमार तिवारी ।

मौखिक आदेश

(पारित दिनांक 7 अगस्त 2007)

दिनांक 01.08.2007 को बहस के दौरान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम जी. ताम्रकार ने प्रार्थना की थी कि इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 115 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्वप्रेरण से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए और दिनांक 07.12.2001 के आदेश को अपास्त करना चाहिए तथा कार्यवाही को भी स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण रद्द करना चाहिए । इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से

पहले, विद्वान अधिवक्तओं से दिनांक 07.12.2001 के उस आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया गया था जिसमें आवेदक द्वारा वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था ।

(2) विद्वान अधिवक्तओं को सुना गया ।

(3) स्वीकृत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लालजी जोशी नामक व्यक्ति ने किराया, नियंत्रण प्राधिकरण, बेमेतरा (जिसे आगे आर सी ए कहा जाएगा) के समक्ष तत्कालीन मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, केस क्रमांक 161 ब /121, 82-83. दिनांक 30.08.1986 के आदेश द्वारा आर सी ए ने प्रतिवादी / किरायेदार को बेदखल करने का आदेश पारित किया ।

(4) आर सी ए द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, किरायेदार ने सिविल अपील अपील क्रमांक 7/86प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 10-10-1998 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी/किरायेदार ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे भी डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। आवेदकों

द्वारा सिविल पुनरीक्षण क्रमांक, खारिज करने की तिथि आदि विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए है।

(5) प्रत्यर्थी / किरायेदार ने प्रथम सिविल न्यायाधिश वर्ग – II , बेमेतरा , जिला दुर्ग के समक्ष सिविल वाद क्रमांक 44- अ- /2001 प्रस्तुत कर निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की -

" 1.- घोषित किया जावे कि वादी कब्जेदार स्वामी चैत माह 2000 में नवानिर्मित मकान के जमीन से उपर पुरे मलमे का है तथा प्रतिवादी वादी के बाजार भाव से किमत एवं नुकसानी किमत एवं क्षतिपुर्ती दिये बिना वादी के इस संम्पत्ती को गृहित नही कर सकता जैसा कि माननीय न्यायालय उन सबका मुल्यांकन करे ।

(2)- यह भी घोषित किया जावे कि भाडा नियंत्रण अधिकारी महोदय द्वारा परित ओदश दिनांक 30.08.1986 निर्थक एवं प्रारंभ से ही शुन्य तथा अधिक एवं क्षेत्राधिकार विहीन है अतः निष्पादन अयोग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3)- वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा ।

(4)- न्याय हित में वाद, वादी के पक्ष में न्यायलयीन व्यय सहित डिक्री हो तथा और कोई आवश्यक अनुतोष जो उपयुक्त पाया जावे उनकी भी डिक्री वादी के पक्ष में दिया जावे । "

(6) उक्त वाद में, प्रतिवादी/मकान मालिक लालजी जोशी ने सहिंता के आदेश 07 नियम 11 के अंतर्गत इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया कि सिविल न्यायालय को ऐसा वाद स्वीकार करने का अधिकार नहीं है और वादी/प्रतिवादी के पक्ष में सिविल वाद दायर करने हेतु कोई वाद दायर हेतुक उत्पन्न नही होता। विद्वान प्रथम व्यवहार न्यायाधिश वर्ग II, बेमेतरा ने अपने आदेश दिनांक 07.12.2001 द्वारा उक्त आवेदन पर निम्नलिखित अदेश परित किया गया ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्त आवेदन के माध्यम से वादी के वादपत्र को प्रतिपालनीय नहीं होनेसे प्रारंभिक अवस्था में ही निरस्त किसे जाने का निवेदन किया है । प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष् द्वारा ज.दा. जवाब दावा पेश नही हआ है तथा वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आवेदन भी पेश हैजिसका निराकरण अभी

किया जाना है ऐसी स्थिति में वाद संधारणीय है अथवा नहीं यह प्रश्न विचारणीय नहीं होता है । उक्त आशय का मन्तव्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है इस संबंध मं 1988 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 117 का न्यायदृष्टान्त संदर्भित किया जा सकता है । अतः प्रतिवादी की ओर से पेश् आवेदन आ.7 नि. 11 व्य.प्र. सं. अंतरिम आवेदन क्रमांक 5 अस्वीकार किया जाता है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) - प्रतिवादी ने भ्ज्ञी संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत प्रतिवादी/मकान मालिक लालजी जोशी को आवेदक/किरायेदार को वादस्थल से बेदखल करने से रोकने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था । यह आवेदन सिविल वाद क्रमांक 44 अ /2001 में प्रथम सिविल न्यायाधिश वर्ग -2, बेमेतरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2001 द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

(8)- उक्त आदेश से व्यथित होकर किरायेदार/वादी ने विविध सिविल अपील क्रमांक 4/2002 प्रस्तुत की है। यह तर्क् दिया गया कि सिविल वाद क्रमांक 44 अ / 2001 के संस्थित होने के पश्चात, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18.08.2001 को परित आदेश के अनुसरण में उसे बेदखल कर दिया गया । विद्वान द्वीतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधिश, बेमेतरा, जिला दुर्ग ने इस आधार पर अपील स्वीकार

की कि वाद की तिथि को प्रतिवादी / किरायेदार वादग्रस्त आवास पर काबिज था, अतः यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया । विविध सिविल अपील क्रमांक 4/2002 में पारित इस आदेश दिनांक 03.08.2002 से व्यथित होकर, आवेदक लालजी जोशी ने यह सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है ।

(9) पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, लालजी जोशी की मृत्यु 18.09.2002 को हो गई । उनके विधिक प्रतिनिधि जो वर्तमान आवेदक हैं , को अभिलेख में लाया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम जी . ताम्रकार ने विविध सिविल अपील क्रमांक 4/2002 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2002 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की अपितु प्रार्थना की कि चुंकि छत्तीसगढ़ आवास अधिनियम , 1961 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 45 के अंतर्गत सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है, इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि स्वप्रेरण से पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, दिनांक 07.12.2001 के आदेश को अपास्त किया जाए और वाद पत्र संहिता के आदेश 7 नियम 11 (घ) के अंतर्गत अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी / किरायेदार के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार तिवारी ने दलील दी कि चूंकि इस सिविल पुनरीक्षण में आवेदक द्वारा 07.12.2001 के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए स्वप्रेरण पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग अनुचित है । यह भी तर्क दिया गया कि सिविल वाद क्रमांक 44- अ /2001 में दिनांक 20.12.2001 के परित आदेश, जिसमें वादी/ किरायेदार भैयाराम द्वारा संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत अपील की जा सकती है । भैयाराम द्वारा उस उपाय का लाभ उठा लेने के बाद, संहिता की धारा 115 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत किसी मध्यवर्ती आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) प्रतिद्वन्दी तर्कों पर विचार करने पश्चात, मैंने आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया है ।

(13) जहां तक आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2002 का संबंध है, यह संहिता के आदेश 43 नियम 1 (आर) के अंतर्गत अधीनस्थ अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश है । ऐसे आदेश के विरूद्ध आगे कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने वाला आदेश विशुद्ध रूप से एक मध्यवर्ती

आदेश है, जिसके विरूद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकता । इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक पुनरीक्षण का संबंध विविध सिविल क्रमांक 4/2002 में पारित दिनांक 03.08.2002 के आदेश से है, वह समय रहते खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि विविध सिविल अपील क्रमांक 04/2002 में परित दिनांक 03.08.2002 के आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकता । तदानुसार आदेश दिया जाता है ।

(14) अब मैं स्वप्रेरण से प्राप्त पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस बात पर विचार करूँगा कि क्या प्रथम व्यवहार न्यायाधिश वर्ग II, बेमेतरा ने दिनांक 07.12.2001 के आदेश द्वारा संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन को अस्विकार करके अधिकारिता संबंधी त्रुटि की थी। संहिता के आदेश 7 नियम 11 में निम्नलिखित लिखा हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वादपत्र **" आदेश . 7 नियम. 11 वादपत्र की नामंजूर "** निम्नलिखित दशाओं में खरिज कर दी जाएगी -

(क) जहां वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी मुल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा

अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प - पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प- पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि के द्वारा वर्जित है,

(ड़) जहां यह दो प्रतियो में फाईल नहीं किया जाता है

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता हैः

परंतु मुल्यांकन कि शुध्दि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नही बढाया जायेगा जब तक कि न्यायालय का, अभिलिखित किए जाने

वाले कारणो से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मुल्यांकन कि शुध्दि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इन्कार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा ।

(15) सोपान सुखदेव साबले एवं अन्य बनाम सहायक चैरिटी कमिश्नर एवं अन्य , [(2004) 3 एससीसी 137] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"आदेश 7 नियम 11 प्रतिवादी को मुकदमों की पोषणीयता को चुनौती देने के लिए एक स्वतंत्र उपाय प्रदान करता है, चाहे उसके पास गुण दोष के आधार पर उस पर आपत्ति करने का अधिकार हो या नहीं । कानून स्पष्ट रूप से किसी भी चरण पर आपत्तीयाँ उठाने की परिकल्पना नहीं करते है- अधिनस्थ न्यायालय मुकदमें कि समाप्ति से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को समन प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है और लिखित बयान

दाखिल करने के बारे में भी स्पष्ट रूप से नहीं कहती है, आदेश 7 नियम 11 द.प्र.सं. के खंण्ड (क) और (घ) तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए, वाद पत्र में दिए गए कथन प्रासंगिक है, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्क उस चरण में पूरी तरह अप्रासंगिक होंगे । इसके बजाय, "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि आदेश 7 नियम 11 न्यायालय पर यह दायित्व डालता है कि वह वादपत्र को खारिज करने के अपने दायित्वों का पालन करे, जब उसमें चार खण्डों में दी गई कोई भी कमी हो । आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र को प्रतिवादी के हस्तक्षेप के बिना भी खारिज किया जा सकता है (जिस पर मेरा जोर है) । किसी भी स्थिति में, आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज करने से वादी को आदेश 7 नियम 13 के अनुसार नया वादपत्र पेश करने से नहीं रोका जा सकता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) **सज्जन सिकारिया एवं अन्य बनाम शकुंतला देवी मिश्रा एवं अन्य,** (2005) 13 एससीसी 687 में सर्वोच्च न्यायलय ने इसी प्रकार की स्थिति में निम्नानुसार टिप्पणी की है,

> "3. हम पाते हैं कि आदेश 7 नियम 11 सी पी सी से संबंधित प्रश्न पर प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विचार करने के निर्देश सही नहीं हैं क्योंकि इसके लिए लिखित बयान दाखिल करना आवश्यक होग । कानून में यह स्थापित स्थिति है कि आदेश 7 नियम 11 द.प्र.सं. के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, लिखित बयान पर विचार करना एक पूर्व शर्त नहीं है और केवल वादपत्र में दिए गए कथनों पर ही विचार किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग- II बेमेतरा द्वारा संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर गुण - दोष के आधार पर इस आधार पर विचार करने से इनकार करना कि प्रतिवादी ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया है और वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए दायर आवेदन लंबित है, इस प्रकार कानून के विपरीत था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से काम किया क्योंकि संहिता

के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय करने के प्रयोजन के लिए, केवल वादपत्र में दिए गए कथन ही प्रासंगिक है और लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली दलीलों पूरी तरह से अप्रासंगिक थी । संहिता के आदेश 7 नियम 11 में करेगा शब्द का प्रयोग न्यायालय पर यह कर्तव्य डालता है कि वह वादपत्र को खारिज करने के अपने दायित्वों का पालन करे, जहां वह संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रदान की गई किसी भी दुर्बलता से प्रभावित हो, यहां तक कि प्रतिवादी के हस्तक्षेप के बिना भी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम सिविल न्यायधीश वर्ग- 11 बेमेतरा द्वारा दिनांक 07-12-2001 को सिविल वाद क्रमांक 44 अ /2001 में पारित किया गया आक्षेपित आदेश, जिसमें प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल न करने तथा वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के लंबित रहने के आधार पर संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन को खारिज कर दिया गया था, विधि के विपरीत था, अतः अपास्त किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) इस मामले में संहिता की धारा 115 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.12.2001 का अदेश अपास्त किया जाता है । प्रथम व्यवहार न्यायधीश वर्ग-2 बेमेतरा, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात,

संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पर गुण - दोष के आधार पर निर्णय देंगे ।

(19) इस आदेश की एक प्रति प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, बेमेतरा के न्यायालय को तत्काल भेजी जाए ।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Soniya Sahu